न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

(पीठासीन अधिकारी :– अशोक कुमार सॉखला, आर0 ए0 एस0)

अपील संख्या :– 151/16 अन्तर्गत धारा 223 आर0 टी0 एक्ट

उनवान :– 1. शांति देवी पत्नि कबूलचन्द जाति चमार निवासी ग्राम खानपुर तहसील मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान

:––– अपीलांटा/वादनी

बनाम

1 नेतराम पुत्र रामजीलाल जाति चमार निवासी ग्राम टीहली तहसील

तिजारा जिला अलवर राजस्थान

2 राज0 सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार, किशनगढबास

अपील विरूद्ध निर्णय एवं अंतिम डिक्री उपखंड अधिकारी, किशनगढबास दिनांक 31.8.2016

उपस्थित :– 1. वकील अपीलांटा :– श्री महेन्द्र सिंह यादव

2. वकील रेस्पो0सं0 1 :– श्री कृष्ण कुमार रायजादा

निर्णय दिनांक 01.04.2021

1 प्रस्तुत अपील तहत अदालत द्वारा राजस्व वाद संख्या 136/2012 अन्तर्गत धारा 53 व 188 आर0 टी0 एक्ट में पारित निर्णय दिनांक 31.8.2016 के

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

खिलाफ है, जिसके द्वारा वादिया अपीलांटा का उक्त वाद अंतिम तौर पर डिकी किया गया है ।

2 प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादिया ने तहत अदालत में आराजी खसरा नम्बर हाल 161/4 रकबा 1.01 हेक्टेयर वाके ग्राम झामूवास तहसील किशनगढबास की बाबत तकासमा का वाद यह कहते हुये प्रस्तुत किया कि उक्त आराजी में वादिया का 1/2 भाग तथा प्रतिवादी नम्बर 01 का 1/2 भाग है । प्रतिवादी नम्बर 01 अपने हिस्से से ज्यादा भूमि पर कब्जा करना चाहता है । अतः तकासमा किया जावे । तहत अदालत ने अपीलाधीन निर्णय द्वारा उक्त वाद पत्र डिकी किया है, जिससे व्यथित होकर वादिया ने यह अपील प्रस्तुत की है ।

3 बहस में विद्वान वकील वादिया अपीलांटा का कथन है कि तहत अदालत ने मुझे साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया । कुरे रिपोर्ट पर आपत्ति प्रस्तुत करने का मौका नहीं दिया । मुझे बिना सुने ही अंतिम डिकी पारित कर दी । मैं कुरेजात रिपोर्ट से सहमत नहीं थी । जिस सह खातेदार का जिस स्थान पर कब्जा है, उसके अनुसार विभाजन नहीं किया गया । मेरा विवादित भूमि में 1/2 अर्थात 0.5050 हेक्टेयर है तथा प्रतिवादी नम्बर 01 का भी 1/2 अर्थात 0.5050 हेक्टेयर है, परन्तु विभाजन में मुझे केवल 0.50 हेक्टेयर भूमि दी है और प्रतिवादी नम्बर 01 को 0.51 हेक्टेयर दे दी गई । इस प्रकार मुझे 01 एयर भूमि कम दी गई है । विभाजन के नियमों की पालना नहीं की गई है । तहत अदालत का निर्णय विधिसम्मत नहीं है । अतः अपील स्वीकार की जावे ।

4 जवाब में विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 01 का कथन है कि इनको साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया गया था । इनका 50 एयर पर कब्जा है और विभाजन में भी 50 एयर भूमि दी गई है । जिस स्थान पर जिस पक्षकार का कब्जा है, उसी अनुसार विभाजन किया गया है । कुर्रे रिपोर्ट सही बनाई गई है । इन्होंने कुर्रे रिपोर्ट पर कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की है । इसलिये अब अपील में कोई आपत्ति नहीं उठा सकती । इसके अतिरिक्त इन्होंने प्राथमिक डिकी की अपील प्रस्तुत नहीं की है । इसलिये अंतिम डिकी की अपील प्रस्तुत करने का इनको कोई अधिकार नहीं है । तहत न्यायालय का निर्णय विधिसम्मत है । अतः अपील खारिज की जावे ।

5 हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्षीय बहस तर्कों पर गौर किया । कुर्रे कायमी रिपोर्ट में वादिया अपीलांटा का विवादित आराजी पर तरफ पश्चिम 50 एयर रकबे पर कब्जा बताया गया है । इस रिपोर्ट पर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

वादिया अपीलांटा द्वारा कोई आपत्ति प्रस्तुत किया जाना नहीं पाया जाता है । अगर उसे कोई आपत्ति थी तो तहत अदालत में प्रस्तुत करनी चाहिये थी । अब अपील के माध्यम से कुर्रे रिपोर्ट पर आपत्ति प्रस्तुत किया जाना न्यायसंगत नहीं है । इसके अतिरिक्त वादिया अपीलांटा ने प्राथमिक डिक्री की अपील प्रस्तुत नहीं की थी । कानूनन अंतिम डिक्री के खिलाफ अपील प्रस्तुत करने से पूर्व प्राथमिक डिक्री के खिलाफ अपील प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है । प्राथमिक डिक्री की आपत्ति अंतिम डिक्री की अपील में नहीं उठाई जा सकती । उपरोक्त तथ्यों के विवेचन की रोशनी में अपील अपीलांट सारहीन होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है ।

6 अतः आदेश है कि अपील अपीलांट खारिज की जाकर तहत न्यायालय के निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 31.8.2016 यथावत रखे जाते हैं ।

7 निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया । पर्चा डिक्री जारी हो । पत्रावली फैसल शुमार हो ।

(अशोक कुमार सॉखला)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

(पीठासीन अधिकारी :– अशोक कुमार सॉखला, आर0 ए0 एस0)

अपील संख्या :– 151/16 अन्तर्गत धारा 223 आर0 टी0 एक्ट

उनवान :– 1. शांति देवी पत्नि कबूलचंन्द जाति चमार निवासी ग्राम खानपुर तहसील मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान

:––––– अपीलांटा/वादनी

बनाम

1 नेतराम पुत्र रामजीलाल जाति चमार निवासी ग्राम टीहली तहसील तिजारा जिला अलवर राजस्थान

2 राज0 सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार, किशनगढबास

अपील विरूद्ध निर्णय एवं अंतिम डिकी उपखंड अधिकारी, किशनगढबास दिनांक 31.8.2016

उपस्थित :– 1. वकील अपीलांटा :– श्री महेन्द्र सिंह यादव

2. वकील रेस्पो0सं0 1 :– श्री कृष्ण कुमार रायजादा

पर्चा डिकी

दिनांक 01.04.2021

अपील अपीलांट खारिज की जाकर तहत न्यायालय के निर्णय एवं अंतिम डिकी दिनांक 31.8.2016 यथावत रखे जाते हैं ।

(अशोक कुमार सॉखला)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर